न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/152

1. राकेश पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. मुकेश पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपील

बनाम

1. पंकज कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जि कोटा ।
2. राजकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला को
3. नीरज पुत्र रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
4. रेणु कुमारी पुत्री रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जि कोटा ।
5. सपना कुमारी पुत्री रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जि कोटा ।
6. महेन्द्र बाई धर्मपत्नी स्व0 श्री रामस्वरूप बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमप जिला कोटा ।
7. दानमल पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. तारारानी पुत्री गंगाराम जाति बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
9. गीताजंली पुत्री गंगाराम जाति बैरवा निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
10. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोड

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री जमील अहमद, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 23.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायाल उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2015 के विरू पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कि था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्ग

प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के स्व0 पिता एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 5 के स्व0 दादा जी एवं अप्रार्थी कम 6 के स्व0 ससुर एवं अप्रार्थी कम 7 लगायत 9 के स्व0 पिता गंगाराम के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 437 की रकबा 4.07 हैक्टर में से 1.78 हैक्टर पश्चिम तरफ की भूमि स्थित है । उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 164 से दिनांक 18.12.2010 को स्व0 गंगाराम जी के खाते दर्ज हुई । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा 2/6 बनता है एवं अप्रार्थी कम 1 से 6 का 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी कम 7, 8 एवं 9 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है । प्रार्थीगण के स्व0 पिता गंगाराम जी के नाम पर राज्य सरकार द्वारा एक खनन पट्टा ग्राम पीपाखेडी में स्वीकृत किया हुआ है । उक्त भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना ही प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि का मुआवजा दिये बिना ही उक्त भूमि पर खनन कार्य कर भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । वैधानिक प्रावधानों के अनुसार खनन क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारों की भूमि का मुआवजा तय करवाकर खातेदार को मुआवजा अदा किये बिना खनन पट्टाधारी निजी खातेदार की भूमि पर खनन कार्य नहीं कर सकता है । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण की हिस्सा भूमि पर उनके कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें व प्रार्थीगण को उनकी भूमि का मुआवजा दिये बिना भूमि पर कोई खनन व खनन सम्बन्धी अन्य कार्य नहीं करें उक्त कार्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

4. अप्रार्थी कम 1, 2, 3, 5 व 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.04.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.04.2015 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण का वाद अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब तक विधिवत विभाजन होकर नहीं हो जाता तब तक अपीलान्टगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड और मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना चाहिए था । वैधानिक प्रावधानों के अनुसार खनन क्षेत्र में निजी खातेदारी की भूमि का बिना मुआवजा तय कराये खनन पट्टाधारी निजी खातेदारी की कृषि भूमि पर खनन कार्य नहीं कर सकता है । रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा तथाकथित फर्जी व कूटर रचित दस्तावेज के आधार पर अपना अधिकार बताया गया है । उक्त फर्जी वसीयत दिनांक 28.08.2008 को माननीय अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमण्डी में चैलेंज किया हुआ है । उक्त वाद का जब तक निस्तारण माननीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा नहीं हो जाता तब तक उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट कम 1 को किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एव

अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था । अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट कम 7 व 8 के पिता व रेस्पोडेन्ट कम 01 से 5 के दादा रेस्पोडेन्ट कम 6 के ससुर स्वर्गीय गंगाराम के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 4.07 हैक्टर में से 1.78 हैक्टर पश्चिम तरफ भूमि नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 18.12.2010 से स्वर्गीय गंगाराम के खाते दर्ज हुई थी । गंगाराम जी का स्वर्गवास सन् 2010 में हो चुका है। फौती इंतकाल अभी तस्दीक नहीं हुआ है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण गंगाराम के वैध वारिसान हैं जिनका उक्त वादग्रस्त आराजी में बराबर का हिस्सा नियत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया है कि निजी खातेदारी की भूमि में बिना मुआवजा तय करवाए पट्टाधारी खनन कार्य नहीं कर सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया है । कूटरचित दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट अपना अधिकार बताते हैं। इस वसीयत को अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमण्डी में चैलेंज किया गया है । वसीयत में विधिक वारिसान को बेदखल करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है । यदि रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अपीलान्टगण को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि गंगाराम ने अपने जीवनकाल में अपने तीनों पुत्रों का अलग–अलग व्यवसाय करा दिया था । वादग्रस्त आराजी गंगाराम ने अपनी स्वयं की आय से क्रय की थी । गंगाराम की स्वंअर्जित सम्पत्ति है जिसकी प्रथम एवं अंतिम वसीयत अप्रार्थी कम 1 लगायत 6 के पक्ष में निष्पादित कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थीगण अपीलान्ट को है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में कोई हित–निहित नहीं है । खनन पट्टा अप्रार्थीगण कम 1 के नाम वसीयत दिनांक 28.08.2008 और प्रार्थीगण के द्वारा खनन पट्टा ट्रान्सफर करने की सहमति देने के बाद ट्रान्सफर किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर गंगाराम का कब्जा था और अब अप्रार्थी कम 1 का कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने *पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण* की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2024 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 106 की कुल 21 किता की 17.18 हैक्टर भूमि मदनलाल पुत्र गोपीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 18.12.2010

से आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 4.07 हैक्टर में से 1.78 हैक्टर तरफ पश्चिम पर गंगाराम पुत्र कालूराम कौम बैरवा का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है । शपथ पत्र की फोटो प्रतियॉ संलग्न हैं जिसमें से एक शपथ पत्र अपीलान्ट क्रम 2 ने मुकेश ने खनन पट्टा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 पंकज कुमार के पक्ष में अन्तरित करने में सहमति व्यक्ति की है । दूसरा शपथ पत्र अपीलान्ट क्रम 1 का है जिसमें भी वसीयत के आधार पर खनन पट्टा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में अन्तरित करने में सहमति व्यक्ति की है । पत्रावली पर वसीयत दिनांक 28.08.2008 की फोटो प्रति भी संलग्न है । इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी गंगाराम के खाते में दर्ज थी और गंगाराम ने एक वसीयत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में निष्पादित की है ।

11. यद्यपि पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु अपीलान्टगण के द्वारा जो शपथ पत्र दिये गये हैं उसमें वसीयत के आधार पर खनन पट्टे का अन्तरण करने में अनापत्ति व्यक्त की गई है और इसके आधार पर खनन विभाग के द्वारा खनन लीज पंकज कुमार के पक्ष में अन्तरित कर दी गई है । अपीलान्टगण के द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्होंने इस वसीयत को सिविल न्यायालय में चैलेंज किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण सिविल न्यायालय से अपने अधिकार एवं स्वत्व तय कराने के लिए स्वतंत्र हैं । साथ ही अपीलान्टगण के द्वारा अपील के बिन्दु संख्या 5 में यह कथन किया गया है कि बिना मुआवजा तय कराए खनन पट्टाधारी निजी खातेदारी की भूमि पर खनन कार्य नहीं कर सकता है । इस बाबत् भी आपत्ति अपीलान्ट खनन विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

12. पत्रावली पर पेश किये दस्तावेजात के अनुसार वादग्रस्त आराजी गंगाराम के तन्हा खाते में दर्ज थी ओर उनके द्वारा एक वसीयत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में तहरीर की गई है साथ ही खनन पट्टे के अन्तरण हेतु अपीलान्टगण के द्वारा खनन विभाग में सहमति स्वरूप शपथ पत्र पेश किये गये हैं जिसके आधार पर खनन पट्टा आदेश दिनांक 05.09.2011 से अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में अन्तरित हो चुका है ।

13. इन तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना अपीलान्टगण के पक्ष में तय नहीं पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2015 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा